संख्या- 31/935/बयालिस-2016-25(विविध)/2011

प्रेषक,

डा0 अनिता भटनागर जैन,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश शासन।

खेल अनुभाग **लखनऊ : दिनांक : 09 जून, 2016**

विषय :- जनपद गौतमबुद्धनगर में कुश्ती, वेटलिफ्टिंग हाल, कबड्डी, वालीवाल, बास्केटबाल एवं बाक्सिंग खेलों हेतु अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं युक्त खेल अवस्थापनाओं के निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- जी0- 1423/नि0 गौतमबुद्धनगर स्टे0 पत्रा0/2015-16, दिनांक 05 फरवरी, 2016 के सन्दर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद गौतमबुद्धनगर में कुश्ती, वेटलिफ्टिंग हाल, कबड्डी, वालीवाल, बास्केटबाल एवं बाक्सिंग खेलों हेतु अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं युक्त खेल अवस्थापनाओं के निर्माण हेतु शासनादेश संख्या- 1905/ बयालिस-2011-25(निर्माण)/2011, दिनांक 21.12.2011 द्वारा रू0 1424.77 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी। प्रशासकीय स्वीकृति के सापेक्ष शासनादेश संख्या- 1193/बयालिस-2012-25(विविध)/2011, दिनांक 16 अगस्त, 2012, शासनादेश संख्या- 2420/बयालिस-2012-25(विविध)/2011, दिनांक 10 दिसम्बर, 2012, शासनादेश संख्या- 1150/बयालिस-2013-25(विविध)/2011, दिनांक 13 मई, 2013, शासनादेश संख्या- 2890/बयालिस-2013-25(विविध)/2011, दिनांक 25 अक्टूबर, 2013, शासनादेश संख्या- 802/बयालिस-2014-25(विविध)/2011, दिनांक 13 मार्च, 2014 एवं शासनादेश संख्या- 2306/बयालिस-2014-25(विविध)/2011, दिनांक 18 सितम्बर, 2014 द्वारा सम्पूर्ण धनराशि निर्गत की जा चुकी है। उक्त कार्य हेतु मूल स्वीकृत लागत में कार्य पूर्ण न होने के कारण निदेशक, खेल द्वारा उपलब्ध कराये गये पुनरीक्षित आगणन का प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा पुनरीक्षित लागत रू0 2162.62 लाख की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है।

(1)- उक्त स्वीकृत पुनरीक्षित लागत के सापेक्ष अवशेष धनराशि वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 के प्राविधानों के अनुसार अवमुक्त की जायेगी।

(2)- प्रायोजनान्तर्गत नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3)- प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों पर स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल आथॅरिटी से स्वीकृत कराया जाय।

(4)- प्रायोजनान्तर्गत धौलपुर स्टोन क्लेटिंग, फाल्स सीलिंग, सिन्थेटिक टर्फ, वुडेन फ्लोरिंग, हाईमास्ट, ग्लास वूल का प्राविधान किया गया है, जोकि लोक निर्माण विभाग की निर्धारित विशिष्टियों से उच्च हैं के प्रयोग हेतु सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।

(5)- प्रायोजनान्तर्गत ट्रान्सफार्मर, डी0जी सेट, हाईमास्ट, सिन्थेटिक टर्फ, नेट, प्लेइंग इक्यूपमेन्ट, सोलर स्ट्रीट लाइट की लागत कोटेशन/बाजार पर प्रस्तावित की गयी है। इनके क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्यों हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरें प्राप्त करे। चूँकि यह प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य है एवं इनके शिड्यूल आफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते है तथा इनके मेक, माडल एवं स्पेसीफिकेशन के अन्तर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। अत: निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाये।

(6)- प्रायोजनान्तर्गत 32065.89 घ0मी0 मिट्टी भराई हेतु रू0 137.88 लाख की धनराशि प्रस्तावित की गयी है। परन्तु इस मद में फिलहाल एकमुश्त रू0 10.00 लाख की मिट्टी की लागत अनुमन्य की गई है। अवशेष मिट्टी की लागत के सम्बन्ध में पूर्व में दिये गये दिशा-निर्देश के आधार पर सुसंगत नियमों का पालन करते हुए सम्पूर्ण कार्यवाही करायी जाये। तदोपरान्त पृथक रूप से जिलाधिकारी कमेटी से मिट्टी भराई मद में प्राप्त रिपोर्ट पर सहमत होने के पश्चात मिट्टी भराई हेतु प्राविधानित धनराशि का परीक्षण प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग से कराकर लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियन्ता (भवन) (सदस्य व्यय वित्त समिति) का अनुमोदन प्राप्त करेगे तथा मिट्टी भराई पर व्यय होने वाली उक्त धनराशि की सीमा तक प्रायोजना की लागत बढी हुई मानी जायेगी। उपरोक्तानुसार मिट्टी भराई मद में अपेक्षित धनराशि के फलस्वरूप बढ़ी हुई लागत को पुन: व्यय वित्त समिति के समक्ष लाये जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

(7)- प्रायोजना में प्रस्तावित स्पोर्टस इक्यूमेन्ट हेतु निदेशक, खेल की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाये जो स्पोर्टस इक्यूमेन्ट की आवश्यकता एवं औचित्य का परीक्षण कर स्वयं संस्तुष्ट हो लेगी। समिति स्पोर्टस इक्यूमेन्ट हेतु प्रायोजना में प्रस्तावित लागत रू0 95.00 लाख में 10 प्रतिशत की कमी करते हुए अर्थात रू0 85.50 लाख की सीमा के अन्तर्गत जो न्यूनतम लागत संस्तुत करेगी। प्रायोजना की लागत उस सीमा तक संशोधित मानी जायेगी। प्रायोजना की संशोधित लागत हेतु प्रायोजना को पुन: वित्त व्यय समिति के समक्ष लाये जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

(8)- प्रायोजना में प्रस्तावित विशिष्टियों एंव कार्य प्राविधानों को यथावत मानते हुए परीक्षण किया गया है। जिसमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समिति के द्वारा अनुमोदित कार्यों की लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर तीन माह के अन्दर समिति का पुन: अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

(9)- प्रायोजना अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुपलीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(10)- स्वीकृत धनराशि का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

(11)- कार्य विशिष्टियाँ मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी निदेशक, खेल एंव कार्यदायी संस्था की होगी।

(12)- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरर्ण व्यय की वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा धनराशि पी0एल0ए0/बैंक खाते आदि में नहीं रखी जायेगी।

(13)- शासनादेश संख्या- 1905/बयालिस-2011-25(निर्माण)/2011, दिनांक 21.12.2011 में उल्लिखित अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

2- उक्त मद में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष- 2016-17 के अनुदान संख्या- 22 के लेखाशीर्षक- " 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-खेलकूद तथा युवा सेवा-800-अन्य व्यय-74-पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुश्ती, कबड्डी, वेटलिफ्टिंग हाल, वालीवाल, बास्केटबाल एवं बाक्सिंग हेतु अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं का विकास-24-बृहद निर्माण कार्य " के नामे डाला जायेगा।

3- उक्त स्वीकृति वित्त विभाग के अशासकीय पंजी संख्या- ई-5-563/दस-2016, दिनांक : 31 मई, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

भवदीया,

डा0 अनिता भटनागर जैन
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या- 31/935(1)/बयालिस-2016-तद्दिनांक :-</u>

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-</u>

(1)- महालेखाकार, उ0प्र0 (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2)- महालेखाकर (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
(3)- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4)- जिलाधिकारी/क्रीडाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
(5)- प्रबन्ध निदेशक, सी0 एण्ड डी0एस0, उत्तर प्रदेश जल निगम, उ0प्र0।
(6)- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1/2
(7)- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग- 5
(8)- नियोजन विभाग- 4
(9)- कम्प्यूटर प्रति/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।